

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी की धनराशि जमा न करने पर स्पष्टीकरण

Posted On: 27 OCT 2017 5:46PM by PIB Delhi

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को जानकारी मिली है कि अनेक एलपीजी उपभोक्ताओं ने पिछले कुछ सप्ताह के दौरान एलपीजी सब्सिडी की धनराशि अपने बैंक खातों में जमा नहीं किए जाने की शिकायन की है।

जांच करने पर यह पाया गया है कि ये शिकायतें मुख्यत: उन एलपीजी उपभोक्ताओं से संबंधित हैं जो एयरटेल के ग्राहक हैं और जिन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक में अपने खाते खोले हैं। एयरटेल एक टेलीकॉम सेवाप्रदाता है जिसने हाल ही के महीनों में पेमेंट बैंक सेवाओं का काम शुरू किया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन एयरटेल उपभोकृताओं की सब्सिडी उनके नए खोले गए और 'आधार' से जुड़े एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में पहले ही जमा कर दी गई है।

गौरतलब है कि सब्सिडी ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अनुसार एलपीजी सब्सिडी लाभार्थी की आधार आईडी से जुड़े (नवीनतम) बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती है।

एलपीजी उपभोक्ताओं को हुई असुविधा के निवारण के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) और ओएमसी ने पहले ही इस मामले में वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), एनपीसीआई तथा एयलटेल के संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत कर ली है।

वीके/आरआरएस/वीके - 5214

(Release ID: 1507297) Visitor Counter: 9

f







in